



## राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र.(SAPS-MP)

(म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)  
मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम (पुस्तक भवन)  
चतुर्थ तल, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011

दूरभाष क्र. 0755- 2775227, 2770915 e-mail: loksevamp@gmail.com



राज्य लोक सेवा अभिकरण अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के निम्नानुसार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं-

क्र.	पद का नाम	कुल पद	अर्हता	वेतनमान
1	प्रबंधक (तकनीकी)	01	म.प्र.शासन/ निगम मण्डल/ म.प्र.शासन की संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी	सातवें वेतनमान
2	प्रबंधक (समन्वय)	01		पे लेवल-12 पर कार्यरत अधिकारी
3	सहायक संचालक (सी.एम.हेल्पलाईन)	08	म.प्र.शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी	सातवें वेतनमान पे लेवल-12 पर कार्यरत अधिकारी

आवेदन पत्र एवं अर्हता संबंधित विस्तृत विवरण राज्य लोक सेवा अभिकरण की वेबसाइट- <https://mpedistrict.gov.in> में दिनांक 18/07/2024 से उपलब्ध होगा। उक्त पदों के लिए आवेदन राज्य लोक सेवा अभिकरण कार्यालय में दिनांक 08/08 /2024 सायं 05:00 बजे तक भेजे जा सकते हैं।

अन्य सूचनाएं समय-समय पर अभिकरण की वेबसाइट <https://mpedistrict.gov.in> पर उपलब्ध कराई जायेगी।

कार्यपालक संचालक  
राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र.

## राज्य लोक सेवा अभिकरण, मध्यप्रदेश,

प्रतिनियुक्ति पद हेतु चयन की शर्तें -

- 1- प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को मूल विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी के मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जायेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम 03 वर्षों में "क" (बहुत अच्छा) या इससे उच्च तथा किसी भी वर्ष में "घ" (औसत से कम) न हो, के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच संस्थित नहीं होना चाहिए तथा किसी भी विजिलेंस इन्क्वायरी तथा लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो आदि द्वारा दोषी नहीं पाया जाना चाहिए, तब ही पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।
- 2- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में चयनित अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात् अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं, परंतु म.प्र.शासन में लागू नहीं हैं, के संदर्भ में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग या राज्य शासन के निर्देश / प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे।
- 3- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन एवं भत्ते ही प्राप्त होंगे एवं मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र.शासन के निर्देश लागू होंगे।
- 4- साक्षात्कार की दिनांक ई-मेल /अभिकरण की वेबसाईट/पत्र द्वारा पृथक से सूचित की जायेगी।
- 5- आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 6- प्रतिनियुक्ति अवधि प्रथमतः एक वर्ष की अवधि अभिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी, जिसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसका सम्पूर्ण अधिकार कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण के पास सुरक्षित होगा। अभ्यर्थी की प्रतिनियुक्ति सेवाएं किसी भी समय बिना किसी कारण के कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा समाप्त की जाकर मूल विभाग लौटाई जा सकेगी।

7- इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, चतुर्थ तल, पाठ्यपुस्तक निगम परिसर, अरेरा हिल्स भोपाल, म.प्र.- 462011, के पते पर भेजेंगे। डाक द्वारा आवेदन-पत्र भेजने वाले आवेदकगण अपने आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजें। सामान्य डाक या कोरियर के माध्यम से आवेदन-पत्र कार्यालय तक न पहुंचने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08/08/2024 सायं 05 बजे तक है। विज्ञप्ति में संशोधन (यदि कोई जारी होते हैं), साक्षात्कार हेतु सूचना तथा अन्य संबंधित जानकारियों एवं उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर दर्शित की जायेगी। आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://mpedistrict.gov.in> पर उपलब्ध है।

8- कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, को विज्ञापन निरस्त / संशोधन करने, चयन प्रक्रिया आदि शर्तों का परिवर्तन करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

9- सहायक संचालक, सीएम हेल्पलाइन के पद हेतु उर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, गृह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

10- प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन देय होगा।

कार्यपालक संचालक  
राज्य लोक सेवा अभिकरण